Rec 23/5/2016.

ई–मेल

अत्यंत महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध / गोपनीय

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

1. **महानिदेशक**
   परिवार कल्याण, उ0प्र0।
2. **महानिदेशक**
   चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
3. **महानिदेशक**
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तरांचल राज्य देहरादून।
4. **निदेशक,** रूरल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा।
5. **निदेशक,** संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
6. **निदेशक,** अब्दुल कलाम टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, सीतापुर रोड लखनऊ।
7. **निदेशक**, मेडिकल यूनिवर्सिटी एण्ड एसोसिएट हास्पिटल ग्रेटर नोएडा।
8. **मिशन निदेशक**, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश ।
9. **प्रबन्ध निदेशक**, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, उत्तर प्रदेश।
10. **समस्त निदेशक / प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक**
    मुख्यालय / / मण्डलीय / जिला व अन्य चिकित्सालय उ0प्र0।
11. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**
    चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 / उत्तराखण्ड।
12. **अपर निदेशक**
    मलेरिया, जवाहर भवन लखनऊ एवं राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ।
13. **महानिरीक्षक,** मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
14. **प्रधानाचार्य एंव अधीक्षक,** के0ई0एच0 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, टुड़ियागंज, लखनऊ।
15. **समस्त प्रधानाचार्य**
    राजकीय मेडिकल कालेज,(एलोपैथी) उ0प्र0।
16. **समस्त प्रधानाचार्य,**
    संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रशिक्षण केन्द्र, उ0प्र0।
17. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,** उ0प्र0।
18. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका**
    जिला चिकित्सालय(पुरूष / महिला / संयुक्त), उ0प्र0।
19. **समस्त कारागार अधीक्षक,** उ0प्र0।
20. **समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम,** उ0प्र0।
21. **समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद,** उ0प्र0।
22. **आयुक्त,** परिवहन विभाग, राजकीय परिवहन निगम, टेढ़ी कोठी, लखनऊ उ0प्र0।

पत्रांक :– गोपन / वां0गो0प्रवि0 / ले0–3 से 4 / 2016 / 571 — लखनऊ, दिनांक 18, मई 2016

विषय :– **प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को लेवल–3 से लेवल–4 में पदोन्नति किये जाने हेतु संलग्न सूची में दर्शाये गये चिकित्साधिकारियों की अंकित वर्ष 2015–16 समेत अन्य वांछित वर्षों की गोपनीय प्रविष्टियों को तत्काल उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासन के पत्र सं0–1553 / सेक–2–पांच–16–1(5) / 2016, दिनांक 06.05.2016 द्वारा पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में तैनात लेवल–3 के चिकित्साधिकारियों को लेवल–4 के पद पर पदोन्नति किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में पात्रता क्षेत्र मे सम्मिलित चिकित्साधिकारियों की सूची तैयार की गयी है, जिसमें अधिकतम चिकित्साधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां पूर्ण नही है, जो आपके स्तर पर लम्बित है। ऐसे 1380 चिकित्साधिकारियों की संलग्न सूची में सेवा विवरण एवं कालम–9 में अपेक्षित गोपनीय प्रविष्टियों के वर्ष का अंकन कर दिया गया है, को आपके पास इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि इन चिकित्साधिकारियों की पूर्व में अंकित की गई वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों की मूल / छायाप्रतियों को प्रमाणित कर मण्डलीय अपर निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर तत्काल महानिदेशालय को 07 दिवस के भीतर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रविष्टि अंकित करते समय निम्न तथ्य अवश्य स्मरण रखें :–

2. यदि किसी चिकित्साधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को सेवा अभिलेखों के आधार पर पुनगर्ठित किया जाता है तो ऐसे चिकित्साधिकारियों की प्रविष्टियां लिखने से पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी से निर्धारित प्रपत्र पर उनके द्वारा संबंधित वर्ष में किये गये कार्यों का मूल्यांकन प्राप्त कर लिया जाय तदोपरांत उनके तत्समय के मूल तैनाती स्थान के चिकित्सा अधीक्षक / उप मुख्य चिकित्साधिकारी से संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा की गई ड्यूटी अवधि का सत्यापन अवश्य करा लिया जाय कि उक्त स्थान से इनका वेतन आहरित किया गया है अथवा नही तथा उक्त तथ्य की पुष्टि सेवा पुस्तिका से भी अवश्य कर ली जाय तत्पश्चात् उसका अंकन मूल्यांकन कालम के समक्ष किया जाय, तदोपरांत ही पुनगर्ठित प्रविष्टि पर उक्त वर्ष की सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर प्रेषित किया जाय।

3. यदि सूची में अंकित कोई चिकित्साधिकारी उल्लिखित अवधि में ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो अथवा स्वयं के व्यय पर स्नातकोत्तर अध्ययनरत रहा हो तो उसकी अनुपस्थिति अवधि का उल्लेख चरित्र पंजिका में कर दिया जाय।

4. वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां निर्धारित प्रारूप (छायाप्रति संलग्न) पर दिये गये विवरण को पूर्ण रूप से भरकर उपलब्ध करायी जाये, अन्य किसी भी प्रारूप पर उपलब्ध करायी गयी प्रविष्टि अमान्य मानी जायेगी। प्रारूप में प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा यथास्थान नाम, हस्ताक्षर व मोहर का अंकन करते हुये तिथि भी अवश्य अंकित की जाय।

5. संभव है कि सूची में अंकित अनेक चिकित्साधिकारी, जो पूर्व में आपके अधीन कार्यरत रहें हों तथा वर्तमान में अन्य जनपद में स्थानांतरित हो गये हों, जिस कारण सूची में दर्शाया गया तैनाती स्थल परिवर्तित हो सकता है, अतः सूची में चिकित्साधिकारियों के वरिष्ठता कमांक, नाम, पिता का नाम आदि सेवा विवरण की पुष्टि करते हुये ऐसे चिकित्साधिकारियों की उल्लिखित वर्षों में अपने–अपने अधीन तैनाती की पुष्टि करते हुये वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां संबंधित जनपद / मण्डल से नियमानुसार उपलब्ध करायी जाये।

6. सूची में अंकित जिन चिकित्साधिकारियों के संबंध में अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही, कोर्टकेस, निलम्बन, अभियोजन स्वीकृति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, मृत्यु, त्याग पत्र स्वीकृत, सेवा समाप्त आदि की स्थिति विद्यमान हो, की सूचना भी उपलब्ध करा दी जाय।

उपांकित प्रकरण अत्यंत महत्पूर्ण है, जिसमें समयबद्धता अत्यंत आवश्यक है। अतः इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त(सूची)।

भवदीय

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक

पत्रांक :– गोपन/वां०गो०प्रवि०/ले०–3 से 4/2016/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–2
2. प्रभारी कम्प्यूटर इंचार्ज, स्वास्थ्य भवन लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूची (सी०डी०) संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत सूची को पत्र में उल्लिखित समस्त परिधिगत अधिकारियों को उनके कार्यालय के ई–मेल पतों पर तत्काल आज ही अपलोड कराते हुये विभागीय वेबसाइट www.uphealth.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
3. श्री ए० के० रावत, तकनीकी सहायक, योजना भवन लखनऊ।
4. अध्यक्ष/ महामंत्री, पी०एम०एस० संघ उत्तर प्रदेश लखनऊ, सी–141 महानगर, लखनऊ।

(राजीव बंसवाल)
संयुक्त निदेशक (गोपन)